# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष यादव आर ए एस

| प्रार्थना पत्र संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 26 / 2024 | 03.07.2024 | 23.09.2024 |

अनुवान

1. सुमन कुमारी पत्नी धर्मवीर जाति अहीर निवासी ग्राम मकडावा तहसील कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब कोटकासिम, तहसील कोटकासिम जिला खैरथल तिजार राज0।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128
राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री रणवीर सिंह यादव :– प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है :–

1. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 824 / 0.0759 है0 वाके ग्राम मकडावा तहसील कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा राज0 में स्थित है। जो कि इस प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलावेगी।
2. यह है कि विवादित आराजी मिन प्रार्थीया को खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है। जिस पर मिन प्रार्थीया काबिज व दखिल होकर काश्त करती चली आ रही हूँ। राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हो रहा है।
3. यह है कि विवादित आराजी की मौके पर पुख्ता डोल नही है मिसमार हो रही है। जिस कारण प्रार्थीया ने अपनी विवादित आराजी की पैमाईश दिनांक 19.06.2024 को श्रीमान तहसीलदार कोटकासिम के आदेश क्रमांक पृष्ठ

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज0

संख्या 74 दिनांक 18.06.2024 की पालना में हल्का पटवारी कान्हडका से करवाई गई।

4. यह है कि विवादित आराजी की पैमाईश करने के बाद हल्का पटवारी से मिन प्रार्थीया ने विवादित आराजी पर पत्थर गाडे जाने का निवेदन किया तो उन्होने कहा कि हमारा काम श्रीमान् के आदेशानुसार पैमाईश करने का था जो हमने कर दिया है अब आप श्रीमान तहसीलदार साहब, कोटकासिम के पास जाकर निवेदन करो उनसे आदेश लेकर आओ जिस पर मिन प्रार्थीया ने दिनांक 25.06.24 को अप्रार्थी से विवादित आराजी पर मौका पर्चा के अनुसार पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो उन्होने कहा कि अदालत से आदेश लाने पर ही हम यह कार्यवाही करेगे इसलिये मिन प्रार्थीया दिनांक 19.06.24 के अनुसार अपनी विवादित आराजी की पत्थरगढी जरिये अदालत से करवाने के लिये यह प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष अविलम्ब ही पेश करना लाजिम आया है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया कि अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की और से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 854/0.0759 है0 वाके ग्राम मकडावा तहसील कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा राज0 की मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 19.06.24 के अनुसार पत्थरगढी करवाई जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई। विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी होना स्वीकार है। विवादित आराजी की पैमाईश दिनांक 19.06.2024 को की गई स्वीकार है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2075– 2078, नकल पैमाईश रिपोर्ट की प्रति पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज0

अन्तर्गत धारा 111, 128 LR ACT 1956
बउनयान सुमन बनाम राजस्थान सरकार
मुकदमा संख्या 26 दिनांक 03.07.2024
निर्णय दिनांक 23.09.2024


प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी का प्रार्थी स्वयं खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी पर किसी प्रकार का मौके पर विवाद नही है। विवादित आराजी का राजस्व टीम द्वारा पूर्व में पैमाईश की जा चुकी है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विवादित आराजी की पत्थरगढी की जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन व बहस प्रार्थी अधिवक्ता के सघन मनन करने पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि विवादित आराजी प्रार्थी स्वय खातेदार काश्तकार दर्ज रिकोर्ड है। ऐसी स्थिति में यह न्यायलय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

## निर्णय

अतः उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में तहसीलदार कोटकासिम को निर्देशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 854 रकबा 0. 0759 है0 वाके ग्राम मकडावा तहसील कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा राज0 की खातेदारी आराजी से लगती आराजी के सभी काश्तकारो को विधिवत रूप से पूर्वसूचित कर उनकी मौजूदगी में पुनः पैमाईश कर पत्थरगढी करावई जावें। अहकाम जारी हों।

आज दिनांक 23.09.2024 को आदेश मेरे द्वारा लिखावाया जाकर न्यायालय की मुद्रा से जारी करने बाद खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम, खैरथल तिजारा राज0

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज0

19/2/25
संशोधित आदेश:— आदेश के पैरा सं 1 मे अंकित खसरा सं 824/0.0759 के स्थान पर 854/0.0759 पढ़ा जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज0